## खनिज परिवहन शुल्क वसूली ई–निविदा सूचना
### वित्तीय वर्ष– 2020–21

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत महोबा द्वारा जनपद महोबा अथवा अन्य जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में बहने वाली नादियों या उनके तट से बालू, मौरंग, रेत या अन्य खनिजों गिटटी, कोयला, बजरी, भस्सी, खारों से निकलने वाली मिटटी को लेने, एकत्रित करने तथा उसे जिले में, जिले बाहर व्यावसायिक उद्देश्य से परिवहन करने वाले शक्ति चालित वाहनों या पशु चलित वाहन या ट्रैक्टर ट्राली, ट्रक, मिनी ट्रक, डम्पर, पशु गाड़ी या मानव चालित नौका से खनन परिवहन शुल्क वसूली सम्बन्धी ठेका/नीलामी **वर्ष–2020–21 (01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक)** के लिये ई–निविदा **दिनांक–13.01.2020** को समय दोपहर **2.00 बजे** तक ई–टेण्डरिंग के माध्यम से आमंत्रित की जाती है, जिसके लिये टेण्डर फार्म ई–टेण्डरिंग पोर्टल http//etender.up.nic.in पर **दिनांक–28.12.2019** को प्रातः 11.00 बजे से **दिनांक–13.01.2020** को दोपहर **2.00 बजे** तक उपलब्ध रहेगा। तकनीकी निविदा **दिनांक–16.01.2020** को समय 2.00 बजे अपरान्ह तथा वित्तीय निविदा दिनाक–17.01.2020 को समय–2.00 **बजे** अपरान्ह कार्यालय जिला पंचायत महोबा के सभाकक्ष में खोली जायेगी। निविदादाता को अपने समस्त प्रमाण–पत्रों की स्कैन कापी निविदा के साथ ई–टेण्डरिंग पोर्टल– **http//etender.up.nic.in** पर अपलोड करना होगा तथा मूल प्रमाण पत्र शर्तो के अनुसार **दिनांक–13.01.2020** को अपरान्ह समय **4.00** बजे तक स्वंय उपस्थित होकर या रजिस्टर्ड डाक द्वारा अनिवार्य रूप से कार्यालय जिला पंचायत महोबा में शील्ड बाक्स में जमा करना होगा अन्यथा की स्थिति में निविदादाता की ई–निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

टेण्डर फार्म शुल्क रूपये 10000/– रू0 (टेण्डर फार्म का मूल्य) निर्धारित जीएसटी व अन्य कर का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत महोबा के पदनाम से देय होगा, जो टेक्निकल बिड के साथ देना अनिवार्य होगा। उपरोक्त टेण्डर के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी जिला पंचायत कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है तथा ई–टेण्डरिंग पोर्टल– **http//etender.up.nic.in** पर टेण्डर की शर्ते देखी जा सकती है।

(लक्ष्मीकान्त मिश्रा)
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत महोबा।

ममता यादव
(ममता यादव)
अध्यक्ष
जिला पंचायत महोबा।

कार्यालय जिला पंचायत महोबा।

पत्रांक– 813 /जि0पं0म0/खनन परि0 शुल्क वसूली/2019–20 दिनांक– 28.12.2019

**प्रतिलिपिः– निम्न लिखित की सेवा में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. संयुक्त सचिव, पंचायतीराज उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. आयुक्त, चित्रकूट धाम मण्डल बांदा।
3. जिलाधिकारी, महोबा।
4. पुलिस अधीक्षक, महोबा।
5. मुख्य विकास अधिकारी, महोबा।
6. वित्तीय परामर्श दाता जिला पंचायत महोबा।
7. अभियन्ता जिला पंचायत महोबा।
8. लेखाकार जिला पंचायत महोबा।
9. प्रशासनिक अधिकारी जिला पंचायत महोबा।
10. कम्प्यूटर आपरेटर जिला पंचायत महोबा को तत्काल अपलोड हेतु।
11. समस्त वसूली कर्मचारी जिला पंचायत महोबा।
12. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र महोबा को इस आशय से कि उक्त नीलामी सूचना को शासकीय बेबसाइट पर डाउनलोड़ कर आन लाईन उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

1\. सम्मानीय सम्पादक दैनिक **हिन्दुस्तान** कानपुर व दैनिक जागरण कानपुर को इस आसय से प्रेषित कि उक्त सूचना आप अपने दैनिक समाचार पत्र के आगामी अंक में पठनीय अक्षरों में शासकीय दर पर न्यूनतम स्थान में एक बार प्रकाशित कर विल भुगतान हेतु अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करने का कष्ट करे। साथ समाचार पत्र की प्रकाशित एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

26/12/2019

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत महोबा।

## कार्यालय जिला पंचायत महोबा।

वित्तीय वर्ष–2020–21

पत्रांक– 813 /जि0पं0म0/खनन परि0 शुल्क वसूली/2019–20 दिनांक– 28.12.2019

## खनिज परिवहन शुल्क वसूली ई–निविदा सूचना व शर्तें

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत महोबा द्वारा जनपद महोबा अथवा अन्य जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में बहने वाली नादियों या उनके तट से बालू, मौरंग, रेत या अन्य खनिजों गिटटी, कोयला, बजरी, भस्सी, खारों से निकलने वाली मिटटी को लेने, एकत्रित करने तथा उसे जिले में, जिले बाहर व्यावसायिक उद्देश्य से परिवहन करने वाले शाक्ति चालित वाहनों या पशु चलित वाहन या ट्रैक्टर ट्राली, ट्रक, मिनी ट्रक, डम्पर, पशु गाड़ी या मानव चालित नौका से खनन परिवहन शुल्क वसूली सम्बन्धी ठेका/नीलामी **वर्ष–2020–21 (01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक)** के लिये ई–निविदा **दिनांक–13.01.2020** को समय दोपहर **2.00 बजे** तक ई–टेण्डरिंग के माध्यम से आंमत्रित की जाती है, जिसके लिये टेण्डर फार्म ई–टेण्डरिंग पोर्टल http//etender.up.nic.in पर **दिनांक–28.12.2019** को प्रातः **11.00 बजे** से **दिनांक–13.01.2020** को दोपहर **2.00 बजे** तक उपलब्ध रहेगा। तकनीकी निविदा **दिनांक–16.01.2020** को समय **2.00 बजे** अपरान्ह तथा वित्तीय निविदा **दिनाक–17.01.2020** को **समय–2.00 बजे** अपरान्ह कार्यालय जिला पंचायत महोबा के सभाकक्ष में खोली जायेगी। निविदादाता को अपने समस्त प्रमाण–पत्रों की स्कैन कापी निविदा के साथ ई–टेण्डरिंग पोर्टल– **http//etender.up.nic.in** पर अपलोड करना होगा तथा मूल प्रमाण पत्र शर्तो के अनुसार **दिनांक–13.01.2020** को अपरान्ह समय **4.00 बजे** तक स्वंय उपस्थित होकर या रजिस्टर्ड डाक द्वारा अनिवार्य रूप से कार्यालय जिला पंचायत महोबा में शील्ड बाक्स में जमा करना होगा अन्यथा की स्थिति में निविदादाता की ई–निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

टेण्डर फार्म शुल्क रूपये 10000/– रू0 (टेण्डर फार्म का मूल्य) + निर्धारित जीएसटी व अन्य कर + 2000 रू0 स्टेशनरी का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत महोबा के पदनाम से देय होगा, जो टेक्निकल बिड के साथ देना अनिवार्य होगा। उपरोक्त टेण्डर के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी जिला पंचायत कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है तथा ई–टेण्डरिंग पोर्टल– **http//etender.up.nic.in** पर टेण्डर की शर्ते देखी जा सकती है जो निम्नवत हैः–

1. जिला पंचायत महोबा के किसी बकायेदार को नीलामी/ई–टेण्डरिंग में भाग लेने का अधिकार नही होगा।
2. जिला पंचायत के पदाधिकारियों, सदस्यों एंव अधिकारियों के निकटस्थ सम्बन्धियों द्वारा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 54 तथा शासनादेश संख्या– 5596बी/33–2–93–69जी/93 पंचायतीराज अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन लखनऊ दिनांक– 01 नवम्बर, 1993 में परिभाषित सम्बन्धितों को ई–टेण्डरिंग में भाग लेने का अधिकार नही होगा।
3. टेण्डरदाता को टेण्डर प्रकिया में भाग लेने हेतु जमानत धनराशि **मु0 1.00 करोड़ (एक करोड़ )** रूपये का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत महोबा के नाम से देय होगा, जमा करना अनिवार्य होगा। उच्चतम बोली की जमानत धनराशि नीलामी धनराशि में समायोजित नही की जायेगी जमानत के रूप में जमा रहेगी और अन्तिम किश्त के साथ समायोजित की जायेगी।

4. शर्तानुसार रू0 **1.00 करोड़** की धनराशि बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से तत्काल जमा करना होगा। उक्तानुसार धनराशि जमा न करने पर जमा धनराशि जब्त हो जायेगी एंव पुनः ठेका नीलामी में यदि जिला पंचायत को कोई क्षति होती है तो उसकी वसूली (ठेका छोडने वाले व्यक्ति) ठेकेदार से की जायेगी।
5. टेण्डर प्रकिया में भाग लेने वाले टेण्डरदाता को सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र एंव **4.00 करोड़ (चार करोड़ )** रूपये का हैसियत प्रमाण पत्र, जो बोलीदाता का स्वंय का हो तथा शासनादेश के अनुरूप हो, देना अनिवार्य होगा। साथ ही पैन नम्बर एंव आधार कार्ड की सत्यापित प्रति तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 54 में परिभाषित जिला पंचायत महोबा के मा0 अध्यक्ष/मा0 सदस्य एंव अधिकारी/कर्मचारी के सगे सम्बन्धित न होने का शपथ पत्र एंव जिला पंचायत महोबा द्वारा जारी ठेकेदारी लाइसेन्स रसीद संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. सक्षम अधिकारी से टेण्डर स्वीकृत होने के उपरान्त ठेकेदार को तत्समय निर्धारित दर पर स्टाम्प पेपर जमा कर अनुबन्ध लिखना होगा तथा आयकर मद में नियमानुसार निर्धारित आयकर एंव निर्धारित शिक्षा उपकर एंव उ0प्र0 सरकार के समय-समय पर दियें गये निर्देशानुसार अन्य उपकर भी निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात की कार्यदेश निर्गत किया जायेगा।
7. ठेकदार को निर्धारित शुल्क के अनुसार ही वसूली करना होगा। किसी भी दशा में निर्धारित दर से अधिक की वसूली नही करेगा।
8. ठेकेदार को जिला पंचायत से उपलब्ध करायी गयी मुद्रित कमांक युक्त प्रमाणित रसीद पर ही शुल्क वसूली करना होगा। जिसे ठेकेदार रसीद का मूल्य जमा कर जिला पंचायत से प्राप्त करेगा तथा रसीद का प्रतिपर्ण जिला पंचायत में वापस जमा करेगा।
9. शासनदेशानुसार उपरोक्त खनिज परिवहन करने वाले वाहनों से शुल्क वसूली के लिये किसी भी स्थान पर किसी प्रकार का बैरियर लगाये जाने को प्रतिबन्धित किया जा चुका है अतएव वसूली स्थल के आस पास ऐसे स्थान पर नियत किये जायेगें जहां पर कि यातायात अवरूद्ध न हो। वसूली स्थल पर गाड़ियों को रोकने हेतु किसी प्रकार का बैरियर या रस्सी का प्रयोग नही किया जायेगा।
10. वसूली स्थल पर ठेकेदार को पर्याप्त सफाई पेयजल रोशनी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
11. जिला पंचायत के किसी आदेश/निर्देश अथवा उपविधि/शर्तनामें के किसी धारा का उल्लंघन करने की दशा में ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
12. वसूली स्थल पर ठेकेदार को सहज दृश्य स्थान पर एक 6x4 फीट का रेट बोर्ड कार्य प्रारम्भ करने से पहले लगाना अनिवार्य होगा। रेट बोर्ड पर वसूली स्थल का नाम ठेकेदार का नाम व पता एंव ठेके की अवधि एंव ठेकेदार का मोबाइल नम्बर स्पष्ट अक्षरों में लिखना होगा।
13. ठेकेदार द्वारा वसूली में लगाये गये कार्मिकों को अपर मुख्य अधिकारी द्वारा एक फोटो युक्त पहचान पत्र जारी कराया जायेगा जिसमें उन कार्मिकों को प्रदर्शित करना होगा। शुल्क वसूली में लगाये गये कार्मिकों की सूची अपर मुख्य अधिकारी द्वारा सम्बन्धित पुलिस थाने में उपलब्ध करायी जायेगी।
14. समय समय पर राज्य सरकार अथवा जिला पंचायत स्तर से जारी आदेशों/निर्देशों का पालन करना सर्वोच्च टेण्डरदाता की बाध्यता होगी।
15. आयुक्त महोदय, चित्रकूटधाम मण्डल बांदा के पत्र संख्या-- 1966/21-एल0बी0ए0-उत्तर प्रदेश दिनांक-28 मई 2015 द्वारा राजकीय गजट में प्रकाशित बालू ,मोरम, गिटटी, बोल्डर, पत्थर, सुर्खी, चूना, भस्सी एंव कोयला परिवहन करने वाले वाहनों से शुल्क वसूली सम्बन्धी दरें प्रभावी होगी जो किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय जिला पंचायत महोबा में देखी जा सकती है।
16. किसी भी बोली को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार मा0 अध्यक्ष जिला पंचायत महोबा में निहित है।

17. वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु सरकारी न्यूनतम बोली/निविदा की दर मु0 **9.73 करोड (नौ करोड तिहत्तर लाख) रूपये** निर्धारित की गयी है इसके ऊपर की निविदा पर ही विचार किया जायेगा।
18. वर्ष 2020–21 हेतु उपरोक्त खनन परिवहन शुल्क वसूली राष्ट्रीय राज मार्ग व राज्य मार्ग एंव जिला मार्ग व अन्य मार्ग को छोड़कर उदगम स्थल से वसूली उपविधि एवं उ0प्र0 शासन पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी शासनादेशों के अनुसार खनिज परिवहन शुल्क वसूली की जायेगी।
19. खनिज की उपलब्धता/लीज के अनुसार खनिज स्थलों की संख्या घट बढ़ सकती है। उपविधि में प्राप्त अधिकार के तहत अथवा शासन से प्राप्त मार्गदर्शन/निर्देशन के अनुसार व पंचायत हित में स्थल बदलने का अधिकार अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत महोबा का होगा।
20. टेण्डरदाता को किसी प्रकार का बकायेदार न हो इस आशय का प्रामण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

23/12/2019

(लक्ष्मीकान्त मिश्रा)
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत महोबा।

ममता यादव
(ममता यादव)
अध्यक्ष
जिला पंचायत महोबा।